

बैंक की व्हिसल ब्लोअर नीति-2020  
Whistle Blower Policy of the Bank -2020

**निर्मित:**

धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन कक्ष,  
जोखिम प्रबंधन विभाग,  
प्रधान कार्यालय

Prepared by:

Fraud Risk Management Cell,  
Risk Management Department, Head Office



Mgt. Cell  
प्रधान कार्यालय / H. O.

## बैंक की व्हिसल ब्लोअर नीति-2020

### Whistle Blower Policy of the Bank -2020

#### परिचय

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 77 (9), कंपनी (कंपनी और उसके प्रदत्त शक्तियों की बैठक) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाए जो निदेशकों और कर्मचारियों के लिए "व्हिसल ब्लोअर नीति (पॉलिसी)" के माध्यम से एक सतर्क तंत्र का गठन करने के लिए कंपनियों के अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी के आचार संहिता के उल्लंघन की व्यग्रता/व्याकुलता की रिपोर्ट करने के लिए निम्नलिखित वर्गों को अनिवार्य करती है:-

- i प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी
- ii प्रत्येक अन्य/दूसरी कंपनी जो जनता से जमा स्वीकार करती है
- iii प्रत्येक कंपनी जो 50 करोड़ रुपये से अधिक बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थान से पैसा उधार लिया हो।

इसके अलावा, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार दिनांक 17.04.2014 के अनुसार सूचीबद्ध इकाई और स्टॉक एक्सचेंज और दिशानिर्देशों और दिशानिर्देशों के बीच खंड 49 के समझौते के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 01.07.2016 के अनुसार जैसा कि मामला हो सकता है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35 (ए), विशेष रूप से संगठनों के कर्मचारी के लिए "व्हिसल ब्लोअर मैकेनिज्म", उस संगठन के अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार या कार्यालय के दुरुपयोग के आरोपों की रिपोर्ट करने के लिए है।"

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कंपनी के रूप में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के दायरे में आ रहे हैं। हमारे बैंक ने इन सभी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, अपने कर्मचारियों के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार की है।

#### उद्देश्य Objective

बैंक में कार्यपालकों/ अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को उजागर करके भ्रष्टाचार को कम करना।

#### शिकायतकर्ता Complainant

इस नीति के तहत कोई भी कर्मचारी शिकायत / प्रकटीकरण करता है तो आमतौर पर उसे शिकायतकर्ता के रूप में संदर्भित किया जाता है।

संबंधित शिकायत में भ्रष्टाचार, कार्यालय का दुरुपयोग, आपराधिक अपराधों, संदिग्ध / वास्तविक धोखाधड़ी को वित्तीय नुकसान में बदलने जैसे क्षेत्रों को शामिल किया जा सकता है, जो ग्राहकों के हित / सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक हैं।

**इस नीति के तहत निम्नलिखित शिकायत की प्रकृति का जवाब नहीं दिया जाता है:-**

बेनामी / छद्मनाम (उपनाम) शिकायतों को इस योजना के तहत नहीं रखा जाएगा और ऐसी शिकायतों पर

विचार नहीं किया जाएगा।

इस नीति के तहत बैंक शिकायतकर्ता को उत्तेजित / घबराने वाली शिकायतों पर कार्रवाई कर सकता है।

### **प्राधिकृत अधिकारी जिसके पास शिकायत की जा सकती है।**

बैंक के बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) के अध्यक्ष को कर्मचारी (कार्यालय) द्वारा भ्रष्टाचार या कार्यालय के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर शिकायत प्राप्त करने के लिए नामित प्राधिकारी के रूप में अधिकृत किया जाएगा।

व्हिसल ब्लोअर नीति के तहत शिकायतों को सीधे नामित पोर्टल के माध्यम से बैंक की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष को भेजा जा सकता है। शिकायत को लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष को एक बंद / सुरक्षित लिफाफे में भी भेजा जा सकता है।

### **इस पॉलिसी के तहत शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया -**

प्रकटीकरण तथ्यात्मक होना चाहिए और काल्पनिक या निष्कर्ष की प्रकृति में नहीं होना चाहिए और प्रकृति की चिंता और सीमा के उचित मूल्यांकन और प्रारंभिक जांच प्रक्रिया की तात्कालिकता के लिए यथासंभव विशिष्ट जानकारी होनी चाहिए।

शिकायतों को अग्रेषित करते समय व्हिसल ब्लोअर को अपना नाम, पदनाम, विभाग और पदस्थापना का स्थान आदि की जानकारी देनी होगी। संबंधित शिकायत को बैंक के व्हिसल ब्लोअर पोर्टल या बंद लिफाफा / सुरक्षित लिफाफा में भेजा जाना चाहिए।

शिकायतकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उठाए गए मुद्दे में बेईमान इरादा / नैतिक दृष्टि शामिल है। उसे सभी तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए और उनके महत्व को समझना चाहिए। शिकायत का विवरण विशिष्ट और सत्यापन योग्य होना चाहिए।

व्हिसल ब्लोअर के लिए बैंक ने आंतरिक पोर्टल (<https://hrms.ucoonline.in>) के अंदर एक अलग लिंक से बनाया है। किसी भी गैरकानूनी गतिविधियों के बारे में जानकारी साझा करने के लिए बैंक के सभी कर्मचारियों के लिए लिंक सुलभ है, जिसे संगठन / धोखाधड़ी / निवारक सतर्कता को लागू करने के लिए आवश्यक कदमों के तहत संचालित किया जा रहा है।

यह पोर्टल व्हिसल ब्लोअर के बारे में सभी सूचना और घटना / जानकारी का पूर्ण विवरण समाहित/कैद करेगा। इस लिंक पोर्टल का उपयोग करके दर्ज किए गए विवरण को बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से अभिगम (पहुँच) हो जाएगा।

### **शिकायतकर्ता की पहचान को सुरक्षित रखने के लिए**

शिकायतकर्ता की पहचान को सुरक्षित रखने के लिए बैंक / नामित प्राधिकारी संबंधित शिकायत की प्राप्ति की कोई भी सूचना जारी नहीं करेगा और शिकायतकर्ताओं / व्हिसल ब्लोअर्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में बैंक / नामित प्राधिकारी के साथ किसी भी अन्य पत्राचार में प्रवेश न करें।

बैंक यह आश्वासन देता है कि मामले के तथ्यों की पुष्टि हो रही है और उसपर आवश्यक कार्रवाई करेगा। यदि

किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है तो बैंक / नामित प्राधिकारी शिकायतकर्ता के संपर्क में आएगा।

## **इस नीति के अंतर्गत बैंक द्वारा कार्रवाई शुरू की जाएगी -**

शिकायत में उठाए गए मामले के संबंध में सभी संबंधित कागजात / दस्तावेज को जोखिम प्रबंधन विभाग के तहत धोखाधड़ी जोखिम निगरानी कक्ष (एफ़आरएमसी) द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए और इसकी यथोचित छानबीन की जानी चाहिए।

एफ़आरएमसी कक्ष जाँच की तत्काल शुरुआत सुनिश्चित करेगा और शिकायत प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपी जाएगी।

बैंक / धोखाधड़ी जोखिम निगरानी कक्ष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से सनद (वारंट) होने पर सीबीआई / पुलिस को आगे की जाँच के लिए मामले को संदर्भित करेगा।

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कथित दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है, कथित कारणों पर "व्हिसल ब्लोअर" होने का संदेह है।

संबंधित अनुशासनात्मक-प्राधिकारी, यदि आवश्यक हो, ऐसे मामलों पर उचित/उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा और जीएम, पीएसडी को डीए (अनुशासनात्मक-प्राधिकारी) द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई और अनुपालन की पुष्टि करेगा।

संबंधित निपटान (देखरेख) विभाग के पास है -

- भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय करें।
- किसी भी प्रकार की कार्रवाई शुरू करने पर मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जो सटीक/फिट हो उसपर विचार किया जाएगा।

नीति (पॉलिसी) की एक प्रति को बैंक की सभी शाखाओं / कार्यालयों द्वारा संबंधित परिसर के अंदर किसी प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी।

## **शिकायत की समीक्षा**

व्हिसल ब्लोअर नीति के तहत प्राप्त शिकायतों की संख्या के साथ एक कार्यसूची जो कि त्रैमासिक आधार पर निदेशक मंडल के समक्ष धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन कक्ष द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले परिणामों के साथ (संलग्न) रहेगा।

## **टिप्पणियां**

बैंक की व्हिसल ब्लोअर नीति (पॉलिसी) बैंक की आंतरिक वेबसाइट में उपलब्ध है।